CEAS
B.C. Coalition to Eliminate Abuse of Seniors

पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करना तथा रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है

बुज़ुर्गों के लिये जानकारी

यह बुज़ुर्गों के लिये जानकारी पर्चों की कड़ी में से एक है। अन्य पर्चे निम्न हैं:

- *बुज़ुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा -क्या यह एक अपराध है?*
- *बुज़ुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा तथा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम*
- *अनुचित व्यवहार व उपेक्षा की अडल्ट गार्डियनशिप एक्ट भाग 3 के अंतर्गत रिपोर्ट*
- *कानूनी सहायता कहाँ से लें*
- *अपने जीवन कार्यों के प्रबन्ध में सहायता के लिये अन्य लोगों को अधिकार देना*

मैं पुलिस को रिपोर्ट कैसे करूँ?
अनुचित व्यवहार के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना बहुत कठिन व अशांत करने वाला हो सकता है, विशेषकर यदि हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति की आप चिंता [या देखरेख] करते हैं। अधिकतर बुज़ुर्गों के इस बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं कि इसमें क्या सम्मिलित है व क्या प्रत्याशित है।

जब आप पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करते हैं, तो अफसर आपसे बात करेगा और बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देना कठिन हो सकता है लेकिन आपको जितनी संभव हो सके जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिये। जो आप को बतायेंगे वह पुलिस अफसर एक कागज पर लिखता जायेगा जिसे **स्टेटमैंट [बयान]** कहते हैं।

यदि आपको कोई धमकी मिली है या आप किसी प्रकार के खतरे में हैं, यह निश्चित रूप से पुलिस अफसर को बतायें। हो सकता है कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आपको कोई योजना बनानी पड़े। पुलिस अफसर इसमें आपकी सहायता कर सकता है या सहायता करने वाले किसी दूसरे से आपको मिलवा सकता है। जैसे कि, जो बुज़ुर्ग अपराध के शिकार हुये हैं उन्हें सहायता देने के लिए पुलिस अक्सर विक्टिम सर्विस वर्कर को कहती है।

जब पुलिस को दिया गया बयान समाप्त हो जाता है, आपको उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जायेगा। [अपने लिए] उस बयान की एक प्रतिलिपि मांगें। पुलिस अफसर का नाम व नम्बर, यदि संभव हो सके, तो भविष्य में हवाले के लिए पुलिस रिपोर्ट के नम्बर लेना अवश्य याद रखें। यदि बाद में आपको याद आये कि आपने कुछ और भी कहना था, तो आप अफसर से सम्पर्क करके उसे यह नई जानकारी भी दे सकते हैं।

पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है?
पुलिस अफसर आपकी शिकायत की जांच करेगा। यदि अफसर को लगे कि व्यक्ति से अपराध हुआ है, वे सरकारी वकील के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। सरकारी वकील पुलिस की इस रिपोर्ट को देखेंगे तथा यह निर्णय लेंगे कि व्यक्ति को इस अपराध के लिए दोषी मानना चाहिये।

यदि पुलिस व सरकारी वकील यह सोचें कि व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिये, वे आपको ऐसा बतायेंगे। यदि लगभग एक सप्ताह तक आपको कोई खबर नहीं मिलती तो आप स्वयं अपनी रिपोर्ट के बारे में उस अफसर से

पूछ सकते हैं जिस अफसर ने आपकी शिकायत दर्ज की थी। जांच के बारे में क्या हो रहा है यह जानने में विक्टिम सर्विस वर्कर भी आपकी सहायता कर सकता है।

आप **विक्टिमलिंक को 1800 563-0808 पर** फोन करके अपने स्थानीय विक्टिम सर्विस कार्यक्रम का और साथ ही अपने समुदाय की अन्य हवाला सेवाओं के नम्बर ले सकते हैं।

कई अपराध से पीड़ित ऐसे भी हैं जो बीमारी, चोट या असमर्थता के कारण पुलिस को बता नहीं सकते कि क्या घटित हुआ है। हो सकता है कि पुलिस दूसरे प्रमाण खोजे ताकि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की गवाही के बिना ही अभियोग चलाया जा सके। इन प्रमाणों में हथियार या गैरकानूनी ढंग से हथियाई गई सम्पत्ति या गवाहों के बयान सम्मिलित हो सकते हैं।

जिस व्यक्ति पर अभियोग लगा है उसका क्या होता है?
एक प्रश्न और है जो कई बुजुर्ग पूछते हैं किः "जिस व्यक्ति पर अभियोग लगा है उसका क्या होगा?" यह प्रश्न विशेषतया महत्त्वपूर्ण है जब अभियुक्त कोई संबन्धी है या बुजुर्ग को सेवायें प्रदान करने वाला कोई एक है।

कभी-कभी पुलिस अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। उसका अपराध करते रहना रोकने के लिए या अपराध से पीड़ित व दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए वे ऐसा कर सकते हैं। पुलिस अभियोगी को जेल में बंद रखेगी यदि उन्हें विश्वास है कि वह दूसरों के लिए खतरा है या न्यायालय में हाजिरी के लिए उपस्थित नहीं होगा / होगी।

जमानत की सुनवाई
कोई भी व्यक्ति जो अपराध का दोषी है उसकी जमानत के लिए विचार किया जाता है। कोई भी सुनवाई तक अपने आप ही हिरासत में नहीं रखा जाता। साधारणतया, जमानत की सुनवाई गवाही का समय आने तक जेल से छूटने का एक प्रार्थना-पत्र है।

एक अभियुक्त को गिरफ्तार होने के 24 घंटों के बीच जमानत की सुनवाई देनी ही होती है। कोई जज या शांति जज जमानत पर छोड़ने या छोड़ने का आज्ञा-पत्र भेजेगा तथा कई प्रकार की जमानतों सें से एक के लिए कहेगा।

गवाही की प्रतिज्ञा (जिसे **गवाही का वचन** भी कहते हैं) जमानत का सबसे साधारण प्रकार है। यदि अभियुक्त का कोई अपराध लेखा [क्रिमिनल रैकर्ड] नहीं है या कोई छोटा सा अपराध लेखा है, इस प्रकार की जमानत का प्रयोग किया जायेगा।

गवाही के वचन में कुछ शर्तें जुड़ी हो सकती हैं। जैसे कि, हो सकता है कि अभियुक्त को जमानत के वरिष्ठ को रिपोर्ट करनी हो या किसी खास पते पर रहना हो या अपराध से पीड़ित व अन्य लोगों से कोई सम्पर्क नहीं रखना हो।

मुचलका या धन देने की स्वीकृति से जमानत
यह एक दूसरे प्रकार की जमानत है। यह तय की हुई धनराशि देने का नियमपत्र है, यदि अभियुक्त कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होता है। इस जमानत के साथ कई प्रकार की भिन्न शर्तें जुड़ी हो सकती हैं। जमानत के विकल्पों में निम्न सम्मिलित है:

- इस जमानत में अभियुक्त को तय की हुई धनराशि अवश्य जमा करनी होगी यदि वह कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होता / होती
- इस जमानत में अभियुक्त को तय की हुई धनराशि के साथ नगद धन भी जमा करना पड़ेगा यदि वह कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होता / होती
- इस जमानत में यदि अभियुक्त कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होता / होती तो किसी दूसरे को तय की हुई धनराशि जमा करनी होगी।

यदि अभियुक्त ऊपरलिखित किसी भी जमानत के अंतर्गत रिहा नहीं होता व हिरासत में रखा जाता है, तो सरकारी वकील **शो कॉज़ हियरिंग** का संचालन करेगा जिसमें अभियुक्त को प्रारम्भिक जांच या गवाही तक हिरासत में रखने के कारण बतायेगा।

शांति बंधपत्र क्या है?
कभी-कभी घर या पड़ौस में हिंसा या हानि को रोकने के लिये, अपराध संहिता के भाग 810 के अंतर्गत **शांति बंधपत्र** की आज्ञा दी जाती है। शांति बंधपत्र प्रतिवादी को शांति तथा एक वर्ष तक अच्छा व्यवहार बनाये रखने के लिए आज्ञा देता है। शांति बंधपत्र की सामान्य शर्तें हैं कि अभियुक्त अपराध से पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहिये। यद्यपि पीड़ित चाहता है तो भी अभियुक्त को फोन करने, पत्र भेजने व मिलने जाने की अनुमति नहीं है। यदि अभियुक्त शांति बंधपत्र की कोई भी शर्त भंग करता / करती है, तो उस पर अपराध पूर्ण दोष का अतिरिक्त आरोप भी लग सकता है।

शांति बंधपत्र के लिए आवेदन कैसे देते हैं?
यदि कोई गंभीर रूप से आपको चोट या आपकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी देता है, आप पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा कर शांति बंधपत्र के लिए कह सकते है। पुलिस को धमकी व प्रहार की जितना संभव हो सके विस्तृत जानकारी दें। यदि धमकियाँ अभी भी जारी हैं, तो जब भी धमकी मिले यथार्थ शब्दों के प्रयोग के साथ उसक एक लेखा जोखा रखें।

पुलिस जांच करेगी तथा सरकारी वकील के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगी जोयह निर्णय लेंगे कि आपकी स्थिति में शांति बंधपत्र उचित है अथवा नहीं। यदि सरकारी वकील शांति बंधपत्र के लिए राजी हो जाते हैं तो जो व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है तो उसे शांति बंधपत्र की शर्तों के साथ राजी होना होगा व उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वह राजी नहीं होता तो सुनवाई के लिए तिथि तय की जायेगी।

यदि आप पुलिस व सरकारी वकील से शांति बंधपत्र पाने में असमर्थ रहते हैं, तो आप प्रांतीय न्यायालय, अपराध विभाग, में जाकर जज से शांति बंधपत्र जारी करने के लिए कह सकते हैं।

शांति बंधपत्र के आवेदन पर अधिक जानकारी के लिए, *फॉर योअर प्रोटैक्शनः पीस बौंड्ज़ एंड रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्ज़* पर्चा देखें। इसकी कापी पाने के लिए विक्टिम सर्विसिज़ एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्ज़ डिविज़न को 604-660-5199 पर फोन करें या www.pssg.gov.bc.ca से इसकी कापी निकालें।

क्या कुछ अपराध पूर्ण जुर्म दूसरों से अधिक गंभीर हैं?

क्रिमिनल कोड ऑव कैनेडा के अंतर्गत जुर्म को बेहतर ढंग से समझने के लिए, यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि अपराध पूर्ण अभियोग की तीन श्रेणियां हैं। ये तीन श्रेणियां हैं - **सरसरी जुर्म** [समरी ओफैंसिज], **अभियोग लगाने योग्य जुर्म** [इंडिक्टेबल ओफैंसिज़] तथा **वे जुर्म जो कि सरसरी या अभियोग की श्रेणी में आ सकते हैं।**

अभियोग लगाने वाले जुर्म सरसरी जुर्म से अधिक संगीन हैं। जैसे कि, किसी का खून करना अभियोग लगाने वाला जुर्म है जबकि बेकार घूमना या दंगे करना सरसरी जुर्म है। जुर्म, जो सरसरी या अभियोग दोनों में आते हैं वे प्रहार, व लैंगिक प्रहार हैं। सरकारी वकील यह निर्णय करता है कि व्यक्ति को सरसरी जुर्म या अभियोग लगाने वाले जुर्म में गिरफ्तार किया जाये।

यदि आप लोअर मेनलैंट में रहते हैं तो कानून व अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिये, बीसी सी ई ए एस को 604 437-1940 पर फोन करें या आप प्रांत के अन्य किसी भाग में रहते हैं तो 1 866 437-1940 पर टौल फ़्री फोन करें।

यह जानकारी पर्चा सरी हैल्थ ग्रांट की कम्युनिटी, फ़्रेज़र हैल्थ अथौरिटी की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया।